RNI NO. : MAHHIN/2019/77511 | मुंबई : बुधवार, 30 नवंबर 2022 | वर्ष 04 | अंक 193 | संपादक : फैसल शेख | पृष्ठ : 4 | कीमत : 03 रुपये

दैनिक
रोकठोक लेखनी
खबरें बे-रोकटोक

Read E Newspaper at Paper Boy App, Magzter App, Jio News App, Paytm App, Dailyhunt App

पूर्व मंत्री अनिल देशमुख को लगा बड़ा झटका !

बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत याचिका दो दिसंबर तक टाली...

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता अनिल देशमुख के जेल से बाहर आने के सभी प्रयास नाकाम साबित हो रहे हैं। मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने देशमुख की दायर जमानत याचिका पर सुनवाई दो दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी।

हालांकि सीबीआई ने कहा कि सहायक सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) अनिल सिंह का स्वास्थ्य खराब है। इस कारण वह आज अदालत में मौजूद नहीं थे। इसलिए कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका स्थगित कर दी। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री ने 26 अक्टूबर को 100 करोड़ रुपये जबरन वसूली मामले के सिलसिले में जमानत के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया। वहीं इससे पहले सीबीआई की एक विशेष अदालत ने 21 अक्टूबर को देशमुख की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

सीबीआई ने अनिल देशमुख पर आरोप लगाया था कि उन्होंने पुलिसकर्मियों को मुंबई में बार मालिकों से हर महीने अवैध रूप से अपने लिए 100 करोड़ रुपये इकट्ठा करने को कहा था। इस मामले पर सचिन वाजे का भी बयान दर्ज किया था। वहीं सीबीआई कोर्ट ने कहा था कि गवाहों के बयानों से स्पष्ट है कि अनिल देशमुख इस पूरे मामले में मुख्य साजिशकर्ता हैं। उन पर लगे आरोप बेहद गंभीर हैं। ऐसे में अगर उन्हें जमानत दी जाती है तो वह मामले और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। आगे कोर्ट ने कहा था कि अनिल देशमुख को जो भी चिकित्सा सुविधाएं चाहिए उन्हें दी जा रही हैं, इसलिए उन्हें चिकित्सा आधार पर भी जमानत नहीं दी जा सकती है। सीबीआई की जांच अभी प्रारंभिक चरण में है, इसलिए इस स्तर पर अनिल देशमुख को जमानत देना सही नहीं है। अनिल देशमुख अभी भी आर्थर रोड जेल में न्यायिक हिरासत में हैं क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा भी उनकी जांच की जा रही है। देशमुख को ईडी ने नवंबर 2021 में गिरफ्तार किया था और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

प्रदीप शर्मा की जमानत याचिका पर सुनवाई एक दिसंबर को

मनसुख हिरेन हत्याकांड मामले में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में एक दिसंबर को सुनवाई होगी।

छोटा शकील के रिश्तेदार ने हड़पी 25 करोड़ की प्रॉपर्टी....

मरे हुए शख्स को बताया जिंदा

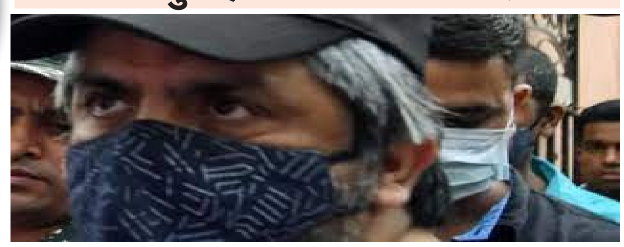

मुंबई : मुंबई में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम गैंग का एक मामला सामने आया जिसमें उसके गुर्गे फर्जी दस्तावेज बनाकर संपत्ति हड़पते थे. जांच में पता चला है कि मारे हुए शख्स को संपत्ति हड़पने के लिये उसे जिंदा बता दिया गया. मुंबई क्राइम ब्रांच के डीसीपी प्रशांत कदम ने एबीपी न्यूज से बातचीत में बताया, पहले यह मामला मुंबई पुलिस की एडह के पास आया था क्योंकि इसमें दूसरे एंगल भी हो सकते हैं. इस वजह से इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच की एंटी एक्सटोर्शन सेल को सौंपी गई.

केस की जांच के दौरान मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी एक्सटोर्शन सेल ने छोटा शकील के रिश्तेदार सलीम फ्रूट को भी गिरफ्तार किया है. यह हड़पी हुई जमीन को सलीम फ्रूट ने एक साजिश के तहत अपने घर वालों के नाम करवा लिया था. सूत्रों ने बताया, शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया उसकी 25 करोड़ की संपत्ति फर्जी दस्तावेज बनाकर हड़प ली गई. दरअसल शिकायतकर्ता के पिता अफ्रीका में रहते थे और यहां इस संपत्ति को संभालने के लिए केयर टेकर रखा गया था उनकी मौत साल 2006 में हो गई थी जिसके बाद उस संपत्ति को देखने वाला कोई नहीं था. इसके बाद सलीम फ्रूट की नजर उस संपत्ति पर पड़ी और साल 2011 से उसे हड़पने का काम शुरू कर दिया गया शिकायतकर्ता के किसी रिश्तेदार को शिकायतकर्ता का पिता बताया गया (जिनकी मौत हो चुकी है) और फिर पूरे दस्तावेज को फर्जी बनाकर संपत्ति हथिया ली गई. इस मामले की जांच के दौरान पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों के नाम मुस्लिम असगरअली उमरेटवाला, शेरझादा जंगरेज खान, अस्लम अब्दुल रेहमान पटनी, रिजवान अलाउद्दीन शेख, और सलीम फ्रूट है.

राबोडी में 18 उपभोक्ताओं से 6.20 लाख रुपये की बिजली चोरी पकड़ी गई

भांडुपः महावितरण के विभिन्न हलकों में बिजली चोरों के खिलाफ जोरदार अभियान चल रहा है। इसी तरह भांडुप अंचल के मुख्य अभियंता धनंजय औढेंकर के आदेशानुसार परिमंडल के अंतर्गत तीन परिमंडलों में बिजली चोरी पता लगाने का अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत मीटर बाइपास, मीटर से छेड़छाड़ व अन्य तरह से बिजली चोरी करने वाले 6.20 लाख रुपये मूल्य के 18 बिजली चोरी का पता लगाया गया है। उपभोक्ताओं को बिजली चोरी से बचाने के लिए लाउडस्पीकर के माध्यम से एवं ठाणे-2 मंडल के अंतर्गत विकास अनुमंडल, वृंदावन सोसायटी राबोडी क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी से भी अपील की गई। उसके बाद दिनांक 22.11.2022 को विकास अनुमंडल व ठाणे-2 मंडल के 50 से अधिक कर्मचारियों ने पुलिस सुरक्षा के साथ बिजली चोरी पता लगाने के अभियान में भाग लिया। इसी बीच यह बात सामने आई है कि मीटर में हेर-फेर कर, मीटर को बाइपास कर व अन्य तरीकों से बिजली का अनाधिकृत उपयोग किया जा रहा है। उक्त अभियान में 18 बिजली चोरों का पता लगाकर उनसे 6.20 लाख रुपये की बिजली चोरी का खुलासा किया गया। उक्त बिजली चोरी करने वाले ग्राहक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अभियान से ईमानदार उपभोक्ताओं में संतोष का भाव दिखा है और जनप्रतिनिधियों ने भी इस कार्य में सहयोगी भूमिका निभाई है। भांडुप अंचल में बिजली चोरी की दर को शून्य करने के लिए आगामी समय में जांच अभियान तेज किया जाएगा। अभियान अधीक्षण अभियंता अरविन्द बुलबुले एवं कार्यपालक अभियंता नितिन थीटे के मार्गदर्शन में चलाया गया। अभियान को सफल बनाने के लिए अपर कार्यपालक अभियंता उमेश लेले एवं जगदीश जाधव, सहायक अभियंता, समस्त आर. महेश राठौड़, प्रवीण बागुल, स्वप्निल वाघ, राहुल खोबे, श्रीमती शुभांगी हड़के सहित अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों ने विशेष प्रयास किया है।

संपादकीय / लेख

फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

चीन में उबाल!

कतांत्रिक व मानवीय अधिकारों के दमन के अंतहीन सिलसिले वाले साम्यवादी देश चीन में दर्जन से अधिक बड़े शहरों के आक्रोशित लोग सड़कों पर उतर आये हैं। इस विरोध का तात्कालिक कारण कोविड के खिलाफ जीरो पॉलिसी के चलते लगाये सख्त प्रतिबंध हैं। बीजिंग से शुरू हुए ये प्रदर्शन देश के करीब तेरह शहरों में फैल गये हैं। पुलिस लाठीचार्ज, मिर्च स्प्रे तथा गिरफ्तारी से लेकर दमन के सारे हथकंडे अपना रही है। लेकिन विरोध का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। यहां तक कि लोग तीसरे कार्यकाल की ओर बढ़ रहे शी जिनपिंग के इस्तीफे तथा लोकतांत्रिक आजादी की मांग कर रहे हैं। प्रतीकात्मक विरोध के रूप में सफेद कागज लहराते लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं। वे अभिव्यक्ति और प्रेस की आजादी की मांग भी कर रहे हैं। यहां तक कि कई विश्वविद्यालयों के छात्र भी सड़कों पर उतर आये हैं। छात्रों की सक्रियता से वर्ष 1989 में थियानमिन चौक पर छात्र आंदोलन को क्रूरता से कुचलने की यादें फिर ताजा हो गई हैं। बहरहाल, कम्युनिस्ट सरकार इन तेज होते आंदोलनों से सकते में है और सख्ती से इन्हें कुचलना चाहती है। यहां तक कि आंदोलन को कवर करने गये एक विदेशी मीडियाकर्मी को गिरफ्तार किया गया और रिहा करने से पहले मारा-पीटा गया। फिर भी फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जैसी मांग कर रहे लोग सरकार विरोधी प्रदर्शनों में जमकर भाग ले रहे हैं। दरअसल, पिछले दिनों चीन में कोविड संक्रमण के मामलों में तेजी आई है। रविवार को चालीस हजार नये मामले सामने आये। वहीं एक्टिव केसों की संख्या लाखों में जा पहुंची है। जिसके चलते चीनी सरकार ने सख्त कोविड प्रतिबंधों के क्रम में लॉकडाउन लगा दिया है। लंबे अर्से से लगे प्रतिबंधों से लोग उकता गये हैं। उनकी जीविका पर संकट है और खाने-पीने की चीजें जुटाने में दिक्कत हो रही है। करोड़ों लोग बंधकों जैसा जीवन बिता रहे हैं।

दरअसल, कम्युनिस्ट सरकार की हर क्षेत्र में जारी सख्ती के बीच गुस्से की आग को उस समय हवा मिली जब चीन के शिंजियांग प्रांत में एक 21 मंजिला भवन में आग लगी। इसकी 15वीं मंजिल में फंसे लोग कोविड के सख्त प्रतिबंधों की वजह से बच नहीं सके और राहत भी देर से पहुंची। इस मंजिल में दस लोगों की मौत की वजह लोगों ने सख्त कोविड प्रतिबंधों को माना। फिर इसके बाद बीजिंग और अन्य शहरों में लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे। लोग अधिकारियों की लापरवाही को हादसे की वजह बता रहे हैं। जिसके विरोध में पूरे देश में गुस्सा फूट पड़ा है। दरअसल, चीन सरकार की जीरो कोविड नीति दुनिया की सबसे सख्त नीतियों में शामिल है। यही वजह है कि चीन के बड़े शहरों की सड़कों पर क्षुब्ध लोग जिनपिंग गद्दी छोड़ो, कम्युनिस्ट पार्टी गद्दी छोड़ो, शिंजियांग को अनलॉक करो, चीन को अनलॉक करो, पीसीआर टेस्ट नहीं चाहिए, प्रेस की आजादी को लेकर लगातार नारे लगा रहे हैं। प्रदर्शनकारी दमन से बचने के लिये खाली सफेद कागज लेकर विरोध कर रहे हैं। वे कह रहे हैं -हमें लोकतंत्र चाहिए, तानाशाही नहीं। उन्हें इस घटनाक्रम में चीनी मीडिया की खामोशी साल रही है कि क्यों उनके आंदोलन की खबरों को तरजीह नहीं दी जा रही है। वहीं चीनी सरकारी मीडिया पश्चिमी मीडिया पर आंदोलन को हवा देने का आरोप लगा रहा है। कई जगह पुलिस आंदोलनकारियों को गिरफ्तार करके ले जाती दिखी है।

editor@rokthoklekhaninews.com
Faisal Shaikh @faisalshaikh_91

बीच सड़क कपड़े उतारकर करने लगा ब्लैक मैजिक...!

आधे घंटे तक ट्रैफिक रहा जाम...!

मुंबई : मुंबई से सटे ठाणे इलाके से एक अजीबों-गरीब मामला सामने आया हैं। ठाणे में देर रात अचानक सनसनी फैल गई। बीच सड़क एक शख्स पूरे कपड़े उतार कर बैठा हुआ था। उसने अपने सामने आग जला रखी थी। इसके साथ ही पास में 7 कटोरियां रखी थीं। वो आग में कुछ डाल रहा था। उसकी ये हरकत देखकर लोगों की भीड़ इकठ्ठा हो गई।

मुंबई से सटे ठाणे में उस समय हंगामा मंच गया जब लोगों ने सड़क पर एक शख्स को ब्लैक मैजिक करते देखा। शख्स अपने पूरे कपड़े उतारकर बैठा हुआ था। आग जलाकर उसमें कुछ सामग्री डालकर वो ब्लैक मैजिक कर रहा था। शख्स की इस हरकत को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इससे

करीब आधे घंटे तक ट्रैफिक जाम रहा। ये घटना कल्याण पश्चिम के आगरा रोड इलाके की है। यहां रात करीब 11:30 बजे बीच सड़क पर एक होटल के पास एक शख्स नंगा बैठा था।

वह लकड़ी के टुकड़ों में आग लगाकर उनमें कुछ डाल रहा था। शख्स के सामने स्टील की सात कटोरियां रखी हुई थीं। जिनमें कुछ सामान मौजूद थे। बीच सड़क इस अजीबो-गरीब घटना को देखने के लिए स्थानीय लोग और कुछ वाहन चालक अपनी गाड़ी रोककर खड़े हो गए। देखते ही देखते लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसकी वजह से आधे घंटे तक यातायात पूरी तरह से बाधित रहा। बता दें कि शख्स की इस हरकत को देखकर लोग एक-दूसरे से सवाल कर रहे थे, आखिर यह इंसान सड़क पर कपड़े उतार कर क्या कर रहा है? इसी दरम्यान पता चला कि वो ब्लैक मैजिक कर रहा है। करीब पुलिस उससे कर रही है पूछताछः इसी बीच मोहने मोहल्ले के एक शख्स ने यह देखा और स्थानीय पुलिस को इस घटना की सूचना दी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शख्स को हिरासत में ले लिया। इसके बाद यातायात बहाल हो सका। पुलिस शख्स से पूछताछ कर रही है और मामलें की जांच में जुटी हैं।

राज्य रानी एक्सप्रेस पर पथराव, एक महिला को आई चोट...

मुंबई : महाराष्ट्र के कल्याण में राज्य रानी एक्सप्रेस पर पथराव की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार, किसी अज्ञात ने अंबिवली और शाहद के बीच राज्य रानी एक्सप्रेस पर पथराव किया गया, जिसमें एक महिला घायल हो गई। बताया जा रहा है कि महिला का नाम रक्माबाई पाटिल है, जिसकी बायीं आंख में चोट आई है। कल्याण जीआरपी के सीनियर पीआई मुकेश धेज ने बताया कि राज्य रानी एक्सप्रेस पर पथराव की घटना को उस समय अंजाम दिया गया। जब अंबिवली-शाहद रेलवे स्टेशन के पास एक अज्ञात शख्स ने सुबह के समय ट्रेन पर पथराव किया। इस हमले में एक महिला घायल हो गई, उसकी आंख में चोट लगी है।

मुंबई के सौंदर्यीकरण योजना के लिए डोंगरी, उमरखाड़ी, मोहम्मद अली रोड का हटेगा अतिक्रमण

मुंबई : मनपा मुंबई के अलग-अलग क्षेत्रों का सौंदर्यीकरण कर शहर और उपनगर की सुंदरता को बढ़ाने का पूरा प्रयास कर रही है। मुंबई के सौंदर्यीकरण योजना के लिए खूब निधि खर्च की जा रही है। इसी योजना के तहत मनपा जेजे फ्लाई ओवर के नीचे मोहम्मद अली रोड के पास अतिक्रमण हटा कर यहां पर रात का बाजार सजाएगी। रात ७ बजे से देर रात तक यह बाजार खुला रहेगा। इस जगह पर डोंगरी, उमरखाड़ी और मोहम्मद अली रोड इलाके में सड़कों पर जो पात्र फेरीवाले हैं, उन्हें यहां लाकर बसाया जाएगा और भीड़भाड़वाले इलाकों में सड़कों को फेरीवालों से मुक्त कराया जाएगा। इस काम को मनपा बी-वॉर्ड में करने की योजना बना चुकी है।

मनपा के अनुसार डोंगरी, उमरखाड़ी और मोहम्मद अली रोड को फेरीवालों के अतिक्रमण से मुक्त करना है और इन फेरीवालों को जेजे फ्लाईओवर के नीचे मोहम्मद अली रोड पर पुनर्वासित करना है। दरअसल, यहां रात का बाजार लगाने की योजना गोवा पैटर्न की तर्ज पर किया जा रहा है। यह पहले मोहम्मद अली रोड पर लागू की जाएगी, उसके बाद पूरे दक्षिण मुंबई में अलग-अलग जगहों पर लागू की जाएगी।

एक अधिकारी ने कहा कि साउथ मुंबई में शाम ७ बजे के बाद भीड़ कम हो जाती है। देर शाम को खाली हो जानेवाली जगहों का हम उपयोग करने की संभावना तलाश रहे हैं। इन ठिकानों को रात के बाजारों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी ऐसी जगहों की तलाश की जानी है। दक्षिण मुंबई में विकसित होनेवाले ये बाजार शाम ७ बजे से सुबह ५ बजे तक खुले रहेंगे तो सुबह के समय खरीददारों की भीड़ नहीं होगी।

शाकाहारी इसलिए बीमार पड़ा, बीमा कंपनी ने खारिज कर दिया मरीज का मेडिक्लेम

नई दिल्ली: आज दुनिया में शाकाहार का प्रचलन बढ़ रहा है और माना जा रहा है कि मांसाहार का सेवन कई रोगों को न्योता देता है। मगर हाल ही में एक उल्टा मामला देखने को मिला जब एक बीमा कंपनी ने एक मरीज के मेडिक्लेम को यह कहकर खारिज कर दिया कि वह शाकाहारी है इसलिए बीमार पड़ा।

मिली जानकारी के अनुसार इस बीमा कंपनी का तर्क था कि शाकाहारी होने के कारण शख्स बीमार हुआ इसलिए उसके मेडिक्लेम को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन ने कंपनी की इस दलील को खारिज कर दिया और ब्याज समेत मेडिक्लेम देने का आदेश दिया। कमीशन ने कहा कि किसी का शाकाहारी होना गुनाह नहीं है और कंपनी ने उसके मेडिक्लेम के दावे को खारिज करने के लिए गलत तर्क दिया है। बता दें कि मीत ठक्कर नामक रोगी का अक्टूबर २०१५ में एक सप्ताह तक इलाज चला था। उन्हें चक्कर व मितली की शिकायत थी, वह कमजोरी महसूस कर रहे थे और शरीर के हिस्से में भारीपन लग रहा था। उन्हें आईटीए की शिकायत थी। उनका होमीसिस्टीन लेवल २३.५२ पाया गया जो अमूमन ५ से १५ के

बीच रहता है। उनका मेडिकल बिल एक लाख रुपए का बना। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने उनके मेडिक्लेम को खारिज कर दिया। कंपनी ने डॉक्टर की एक रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि विटामिन बी१२ की कमी से ठक्कर को यह समस्या पैदा हुई थी। शाकाहारी होने के कारण ठक्कर के शरीर में बी१२ की कमी हो गई थी। ठक्कर ने इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ अमदाबाद जिले के कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन में शिकायत की। सुनवाई के बाद कमीशन ने कहा कि शाकाहारी लोगों को बी१२ विटामिन की कमी हो सकती है लेकिन ठक्कर के मामले में यह नहीं कहा जा सकता है कि इस कारण उन्हें यह समस्या हुई या इसमें उनकी कोई गलती थी। डॉक्टर ने कहा था कि अक्सर शाकाहारी लोगों को बी१२ की कमी हो जाती है लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने इसकी गलत व्याख्या की और मेडिक्लेम को रिजेक्ट कर दिया।

मुंबई में पिता ने नाबालिक बेटी का किया यौन शोषण, हुई 10 साल की सजा

मुंबई : मुंबई में विशेषस्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने एक 43 साल के शख्स को अपनी 11 साल की बच्ची का यौन शोषण करने के आरोप में 11 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई हैं। इसके साथ ही सात हजार रुपए जुमार्ना भी लगाया हैं। आरोप है कि साल 2017 में आरोपी शख्स ने दो महीने तक लगातार अपनी बेटी का यौन उत्पीड़न करता रहा। एक दिन बच्ची ने कॉपी में लिखकर मां को पिता की गंदी हरकतों के बारे में बताया, तब जाकर मां ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मिली जानकारी के मुताबकि, लड़ाई झगड़े की वजह से मासूम बच्ची के माता-पिता अलग रहते थे। कुछ समय बाद दोनों में सुलह-समझौता हो गया और फिर दोनों मुंबई में साथ रहने लगे। एक दिन बच्ची ने अपनी मां को बताया कि पापा ने कुछ गंदी हरकतें की हैं। मां ने उससे पूछा कि किसके साथ की हैं तो इस पर बच्ची ने अपनी कॉपी में लिखकर बताया कि उसके साथ की।

बता दें कि स्पेशल जस्टिस सीमा जाधव ने आरोपी पिता पर सात हजार रुपए का जुमार्ना भी लगाया है। सीमा जाधव ने कहा कि जिला कानूनी सहायता सेवा प्राधिकरण को जांच करने का आदेश दिया जाता है और अगर जांच से पता चलता है कि पीड़ितों को मुआवजा नहीं मिला है तो उनके मामले को नियमानुसार मुआवजे के लिए भेजा जाए। विशेष लोक अभियोजक वीणा शेलार ने जिन पांच गवाहों का हवाला देते हुए अभियुक्तों को सजा दिलाने की मांग की, उनमें नाबालिग बच्ची और उसकी मां शामिल थीं। दोनों ने अभियोजन पक्ष के मामले का सपोर्ट किया। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, बच्ची के पेरेंट्स की शादी साल 2003 में हुई थी। उनके एक बेटा और एक बेटी है। बाद में पति-पत्नी में झगड़ा हुआ। बेटी के पैदा होने के बाद दोनों अलग-अलग रहने लगे। आरोपी जहां अपने बेटे के साथ वाराणसी में था तो वहीं पत्न ी अपनी बेटी और मां के साथ मुंबई में रहती थी।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, साल 2016 में बच्ची और उसकी मां आरोपी पिता से मिलने वाराणसी गए थे। अपने बच्चों के भविष्य का ख्याल करते हुए माता-पिता में सुलह हो गई और पिता बेटे को लेकर वापस मुंबई चला गया। पीड़ित मां ने कोर्ट को बताया कि जब वह आरोपी पति के साथ रहने लगी तो उसकी बेटी उसके साथ सोने लगी। आरोपी पिता उसके मोबाइल में अश्लील वीडियो देखता था। मां ने बताया कि जल्द ही उन्होंने देखा कि उनकी बेटी हमेशा आरोपी से डरी रहती है और बात करना बंद कर देती है। इसके बाद 30 जुलाई 2017 को जब उसने बच्ची से बात करने का प्रयास किया तो वह काफी डरी हुई दिखाई दे रही थी। बहुत समझाने के बाद उसने अपने पिता की हरकतों के बारे में बताया। लड़की ने अपनी मां को बताया कि आरोपी ने उसे यौन उत्पीड़न की जानकारी नहीं देने की धमकी दी थी। इसके बाद मां ने अगले ही दिन पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

मुंबई में खसरे के प्रकोप पर उद्धव गुट का हमला, कहा- लोग सड़कों पर ना उतर जाएं

मुंबई : मुंबई में खसरे का प्रकोप बढ़ते ही जा रहा हैं। मुंबई, ठाणे सहित महाराष्ट्र भर में खसरे के 10 हजार से अधिक मामलें सामने आ चुके हैं। लेकिन महाराष्ट्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री को लेकर ह्यतानाजी सांवत को दिखाओ और एक लाख पाओह्ल जैसी स्थिति है, बीजेपी सरकार गुजरात चुनाव में व्यस्त है। उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना ने इन शब्दों में निशाना साधा है। शिवसेना (ठाकरे गुट) ने अपने मुखपत्र ह्यसामनाह्ल में शिंदे-बीजेपी सरकार पर हमले करते हुए कहा है कि ईडी के हाथ ताकत देकर कोरोना भागने वाला नहीं है। जैसे कोरोना पूरे महाराष्ट्र भर में फैला था, वैसा ही अब खसरा फैल रहा है। लेकिन इसकी रोकथाम के लिए महाराष्ट्र सरकार और इसके स्वास्थ्य मंत्री ने अब तक क्या किया है? खसरे का वैक्सीन लगाने में तेजी की बात कही जा रही है। लेकिन ये सब केवल कागजों में दिखाई दे रहा है। मुखपत्र ह्यसामनाह्ल में आगे लिखा गया है कि इस संबंध में दिल्ली में एक हाई लेवल बैठक हुई। एक नियमावली तैयार कर महाराष्ट्र में लागू करने को कहा गया। लेकिन इस संकट के समय महाराष्ट्र में एक गैर जिम्मेदार सरकार बैठी है। कोरोना काल में राज्य के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने दो साल तक परिवार प्रमुख की तरह जनता का पूरा ख्याल रखा। आगे लिखा हैं कि तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री सभी हॉस्पिटल जाकर हालात का जायजा लेकर जरूरी आदेश दिया करते थे। आज खसरा के संक्रमण से बच्चों के अभिभावक परेशान हैं। ऐसे में महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री क्या कर रहे हैं? चीन में कोरोना लॉकडाउन के विरोध में जनता का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दे रहा है, ऐसा मुंबई और महाराष्ट्र में दिखाई ना दे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, ठाणे में खसरा रोकने गई महापालिका की टीम को लोगों ने काम करने से रोका है।

न्यायालय ने मुंबई मेट्रो को आरे कॉलोनी में 84 पेड़ काटने की अपनी अर्जी पर आगे बढ़ने की अनुमति दी

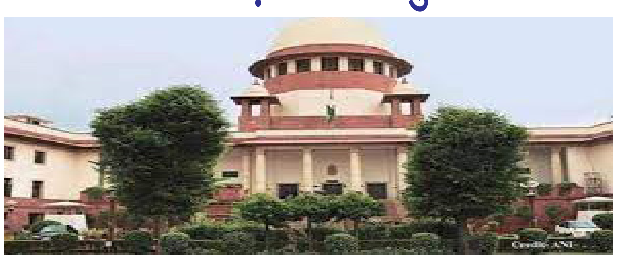

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (एमएमआरसीएल) को मुंबई की आरे कॉलोनी में अपनी कार शेड परियोजना में ह्यट्रेन रैंपह्ल के निर्माण के लिए 84 पेड़ों को काटने की अर्जी संबंधित प्राधिकार के समक्ष रखने की अनुमति दे दी। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने मुंबई मेट्रो की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों पर गौर किया कि कार शेड में ट्रेन के लिए रैंप बनाने को लेकर 84 पेड़ों की कटाई की जरूरत है। पीठ ने कहा, ''एमएमआरसीएल को 84 पेड़ काटने के लिए वृक्ष प्राधिकरण के समक्ष अपनी अर्जी को रखने की अनुमति दी जानी चाहिए''। इसके साथ ही पीठ ने मेट्रो परियोजना के खिलाफ मुख्य अर्जियों पर अगले साल फरवरी में अंतिम सुनवाई निर्धारित की। इससे पूर्व, शीर्ष अदालत ने 2019 में कानून के छात्र ऋषव रंजन द्वारा प्रधान न्यायाधीश को संबोधित एक पत्र का याचिका के तौर पर स्वतः संज्ञान लिया था, जिसमें आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया था। शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल द्वारा कोई और पेड़ नहीं काटे जाने के संबंध में हलफनामा दिए जाने के बाद अधिकारियों को और पेड़ काटने से रोक दिया था। आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई का पर्यावरणविद और वहां के निवासी विरोध कर रहे हैं।

एमएमआर में खुलेंगे बाला साहेब ठाकरे आपला दवाखाना

o मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दी जानकारी...!

मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि मुंबई को विश्व स्तरीय स्वच्छ और सुंदर शहर बनाने के लिए मजबूती से कदम उठाए जा रहे हैं। सड़कों, चौक, फुटपाथ, फ्लायओवर का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगले चरण में मुंबई की तरह महानगर क्षेत्र (एमएमआर) में हिंदू ह्रदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे आपला दवाखाने खोले जाएंगे। मुंबई फर्स्ट संस्था के पदाधिकारियों ने सोमवार को मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इस दौरान मुंबई के सौंदर्यीकरण, स्वास्थ्य व्यवस्था, इंफ्रा स्ट्रक्चर की परियोजनाओं आदि पर चर्चा हुई।

इस दौरान मुंबई फर्स्ट संस्था के नरिंदर नायर, संजय उबाले, अशांक देसाई, नेवील मेहता, अश्विनी ठाकुर आदि पदाधिकारी मौजूद थे। शिंदे ने इस मौके पर हम मुंबई को दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर बनाना चाहते हैं और इसके लिए हमने काम शुरू कर दिया है। मुंबई में सड़कों को क्रांकीट करण किया जाएगा और इस प्रकार गड्ढा मुक्त सड़कों की अवधारणा साकार होगी। शिंदे ने कहा कि मुंबई में व्यस्त जगहों पर चौराहों, सड़कों, फुटपाथों, फ्लाईओवरों का सौंदर्यीकरण शुरू हो गया है।

उन्होंने कहा कि कोलीवाडा का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है और उनकी साफ-सफाई पर जोर दिया जा रहा है। कोलीवाड़ा को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा रहा है और वहां की खाद्य संस्कृति से पर्यटकों को परिचित कराने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुंबई में 227 जगहों पर आपला क्लिनिक शुरू किए जाएंगे और आम लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। इस मौके पर मुंबई फर्स्ट संस्था के पदाधिकारियों ने आपला क्लीनिक पहल की सराहना की। इस अवसर पर मुंबई में ग्लोबल वार्मिंग, बदलते शहर और जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित करने के बारे में चर्चा हुई।

मुंबई से आरोपी गिरफ्तार... बढ़ेगी दुष्कर्म की धारा

किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के आरोपी को कलवारी पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार कर लिया। उसे मुंबई के न्यायालय में पेश किया। ट्रांजिट रिमांड पर लेकर उसे टीम बस्ती पहुंची। थानाध्यक्ष आलोक कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि अपहृता को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। आरोपी को न्यायालय भेज दिया गया। मुकदमे में दुष्कर्म की धारा बढ़ाई जाएगी। करीब दो माह पूर्व कलवारी थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी को एक युवक बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। प्रकरण में पुलिस ने आकाश निवासी नेबुआ, कुशीनगर के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। जांच में जुटी पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी आकाश (19) मुंबई में है। इसके आधार टीम मुंबई गई और विक्रोली वेस्ट मुंबई से पकड़ लिया गया। उसके कब्जे से किशोरी मिली। मुंबई की स्थानीय कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड पर आरोपी आकाश को पुलिस बस्ती नगर ले आई।

सिर पर तवे के वार से कर दी पत्नी की हत्या...!

तीन दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया आरोपी पति

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। मुंबई पुलिस ने इस घटना की जानकारी दी है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी पति ने हत्या करने के लिए खाना पकाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले तवे का प्रयोग किया। फिलहाल आरोपी पति को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया। जहां अदालत ने उसे तीन दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

मुंबई पुलिस की जानकारी के मुताबिक, आरोपी पति का नाम बसंत साहा है जो अपनी पत्नी रीतादेवी के साथ भांडुप में बीएमसी द्वारा संचालित सार्वजनिक शौचालय द्वारा प्रदान किए गए आवास में रहता था। वहां वे दोनों एक साथ काम करते थे। यहीं पति बसंत साहा ने अपनी पत्नी रीतादेवी के सिर पर खाना पकाने के तवे से

वार कर उसकी हत्या कर दी। डीएन नगर पुलिस ने मुंबई में एक 40 वर्षीय अमेरिकी महिला से छेड़छाड़ के आरोप में एक कैब ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 (ए) और 509 के तहत मामला दर्ज किया है।

कर्नाटक में भी पत्नी की हत्या

वहीं, ऐसी ही एक घटना कर्नाटक के मंगलुरू में भी सामने आई है। मंगलुरू पुलिस ने सोमवार को इसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यहां के तेनका येक्कर गांव से एक व्यक्ति को अपनी पत्नी पर लकड़ी के डंडे से हमला कर उसकी हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने यह भी बताया कि यह घटना रविवार को तब हुई जब वह शराब के नशे में था। नशे में ही आरोपी पति दुर्गेश ने अपनी पत्न ी सरिता के साथ झगड़ा किया और उसकी हत्या कर दी। वहीं, इस घटना के दौरान मौके पर उसका बेटा घर पर ही था। वहीं, आरोपी ने नशा उतरने के बाद सोमवार सुबह अपने भाई को फोन कर घटना की जानकारी दी। जिसके बाद, मामला दर्ज कर युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है।

ओडिशा में मिला महिला का शव

वहीं, ओडिशा में एक युवती का क्षत-विक्षत शव समुद्र तट पर मिला है। इस मामले में पुलिस ने जानकारी दी है कि शनिवार को पेंथकाटा इलाके के पास समुद्र तट पर एक युवती का शव मिला था। महिला की उम्र 18 साल के आस-पास होगी। मृतका युवती मध्यप्रदेश की रहने वाली थी।

वहीं, उसके परिजनों ने अपनी बेटी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में उच्चस्तरीय जांच की मांग की। परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी को होटल से अगवा कर लिया गया था। इसके बाद उसकी हत्या कर दी गई और चेहरे पर तेजाब डाल दिया गया जिससे उसकी पहचान ना हो सके।

कार से दो लड़कियों का पीछा करने वाला आरोपी गिरफ्तार, दोस्त फरार

मुंबई : उपनगर अंधेरी में ट्यूशन कक्षा से लौट रही दो लड़कियों का अपने दोस्त की कार से पीछा करने के आरोप में 30 वर्षीय शख्स को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि आरोपी का मित्र फरार है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोनों लोग उत्तर प्रदेश में मेरठ के रहने वाले हैं और अपने दोस्त से मिलने मुंबई आए थे जो उपनगर जोगेश्वरी में रहता है। यह घटना शनिवार दोपहर की है जब लड़कियां ट्यूशन कक्षा से घर लौट रही थीं। अधिकारी ने कहा, ''आरोपी और उसका मित्र एक कार में बैठे थे और उन्होंने लड़कियों को देखने के बाद उन पर टिप्पणियां करना शुरू कर दी। लड़कियां घबरा गयीं और वे घर पहुंचने के लिए ऑटोरिक्शा में बैठ गयीं लेकिन आरोपी और उसका दोस्त कार में उनका पीछा करते रहे। उन्होंने कहा, ''जब ऑटोरिक्शा एक यातायात सिग्नल पर रुका तो 30 वर्षीय आरोपी बाहर निकला तथा लड़कियों को एक पर्चा दिया जिस पर उसका मोबाइल फोन नंबर लिखा था।

बाद में लड़कियों के परिवार के सदस्यों ने पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करायी। अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने मोबाइल नंबर के आधार पर आरोपी का पता लगाया तथा रविवार रात को उसे पकड़ लिया जबकि उसका दोस्त फरार है। उन पर भारतीय दंड संहिता तथा बाल यौन अपराध संरक्षण (पोक्सो) कानून के तहत एक मामला दर्ज किया गया है।

नायगांव और वर्ली बीडीडी चाल के 460 घर मालिकों का फ्लैट हुआ निश्चित

वरली बीडीडी चाल के सावली इमारत में रहने वाले 18 लोगो का भी हुआ समावेश...!

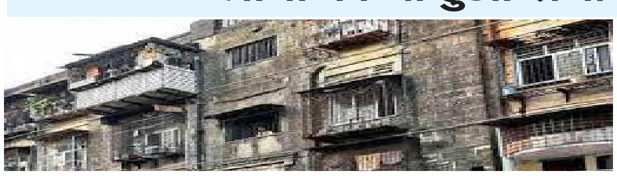

मुंबई : महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (म्हाडा) मुंबई बोर्ड ने आज नायगांव और वर्ली बीडीडी चाल पुनर्विकास परियोजना के पहले चरण में तैयार होने वाली इमारत में योग्य निवासियों को वितरित होने वाले 460 फ्लैटों की कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के माध्यम से लॉटरी निकल कर उनके घरो को निश्चित कर दिया गया। पुनर्विकास परियोजना के तहत बनने वाली इमारत में घर मालिकों का फ्लैट नंबर, बिल्डिंग नंबर, बिल्डिंग का विंग, फ्लोर का मालिकाना हक आज निश्चित कर दिया गया। बांद्रा पूर्व म्हाडा मुख्यालय में बीडीडी चाल पुनर्विकास परियोजना के तहत नायगांव बीडीडी चाली के भवनों 12बी, 13बी, 14बी, 15बी, 16बी, 19बी और 22बी के 442 पात्र घर मालिकों और वर्ली बीडीडी चल परियोजना में शामिल हुई सावली इमारत के 18 रहिवासियों का फ्लैट की लॉटरी निकालकर उनके स्वामित्व के आधार पर प्रदान किए जाने वाले फ्लैटों की संख्या का निर्धारण कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के माध्यम से लॉटरी निकाल कर निश्चित कर दिया गया ।बीडीडी चल पुनर्विकास परियोजना देश की सबसे बड़ी शहरी पुनर्विकास परियोजना है और सरकार ने इस परियोजना की जिम्मेदारी म्हाडा को सौंपी है प्रस्तावित पुनर्वास भवनों में फ्लैट आवंटित किए गए घर मालिकों की सूची म्हाडा के https://mhada.gov.i»»f पर प्रकाशित कर दी जाएगी ।सोमवार को लॉटरी के अवसर पर म्हाडा उच्च स्तरीय समिति के सदस्य जॉनी जोसफ, राज्य सूचना एवं विज्ञान अधिकारी मोइज हुसैन अली, मुंबई विकास विभाग के निदेशक सतीश अंबावडे, कार्यकारी अभियंता प्रशांत धात्रक, सुनील भडांगे, , उप मुख्य अधिकारी (बीडीडी परियोजना) राजेन्द्र गायकवाड़ आदि उपस्थित थे।

मुंबई की एक सोसायटी में कुत्ते के साथ लिफ्ट से न उतरने पर युवक की पिटाई

पश्चिमी उपनगर साकीनाका में हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में लिफ्ट से इनकार करने पर एक युवक के साथ मारपीट की गई है। घटना तब हुई जब युवक कुत्ते के साथ मॉर्निंग वॉक कर रहा था। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि साकीनाका में एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में लिफ्ट से मना करने पर 24 वर्षीय युवक की पिटाई की गई। वह कुत्ते के साथ मॉर्निंग वॉक कर रहा था। हमलावर ने पालतू कुत्ते पर भी लात मारी गई। एक अधिकारी ने बताया कि घटना सोमवार की रात नाहर अमृत शक्ति इलाके की अरुम हाउसिंग सोसाइटी में हुई।

उन्होंने बताया, पीड़ित सुनील राठौड़ एक कुत्ते को घुमाने ले जाने के लिए भूतल पर आने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन जैसे ही लिफ्ट नौवीं मंजिल

पर पहुंची तो एक महिला ने युवक को कुत्ते के साथ बाहर निकलने को कहा, क्योंकि उसे परेशानी हो रही थी। लेकिन युवक ने मना किया।

इसके बाद महिला का पति और एक सुरक्षा गार्ड कथित तौर पर उसका पीछा करते हुए पार्किंग तक पहुंच गए और उसे अपशब्द कहने लगे। दो थप्पड़ मारने के आरोपी ने राठौड़ के हाथ से डंडा छीना और उससे मारपीट शुरू कर दी। अधिकारी ने बताया कि उसने कुत्ते को भी दो बार लात मारी। अधिकारी ने बताया कि पीड़ित ने साकीनाका पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 504 (जानबूझकर अपमान करना) के तहत मामला दर्ज किया गया।

मालिक , मुद्रक,प्रकाशक ,संपादक फैसल शेख ने सोमानी प्रिंटिंग प्रेस , गाला नं 3 - 4 ,अमीन इंडस्ट्रियल इस्टेट ,सोनावला क्रॉस रोड नं 12 ,गोरगांव (पूर्व),मुंबई 63 से छपवाकर रूम नं 15 रमजान बिन 17 सी वंजावडी, माहिम वेस्ट मुंबई :4000 16 से प्रकाशित किया। संपर्क कार्यालय : 1 -ए, ग्राउंड फ्लोर साहिल मेंशन, बालमिया लेन, माहिम वेस्ट मुंबई 400016 मोबाइल नं 9987 77 5650 व्हाट्सप्प नं 7977 40 8589 : Email -editor@rokthoklekhaninews.com

www.rokthoklekaninews.com facebook@rokthoklekhani youtube@rokthoklekhani twitter@rokthoklekhani